1. Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata -Chairperson; 2. Deputy Director Administration (Drugs) - Member; 3. Group 'A' officer of Central Drugs Laboratory, Kolkata –Member.	

[F. No. A.12018/06/2022-DRS]

BIKASH R MAHATO, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त का कार्यालय (हस्तशिल्प)]

(राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय)

नई दिल्ली, 9 मई, 2024

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त का कार्यालय (हथकरघा) समूह ''क'' और समूह **"ख"** पद भर्ती नियम 2002 को जहाँ तक उनका संबंध उपनिदेशक (संग्रहालय संग्रह) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त का कार्यालय (हथकरघा), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय) में उपनिदेशक (संग्रहालय संग्रह) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त का कार्यालय (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, उपनिदेशक (संग्रहालय संग्रह) (समूह ''क'' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.**–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि** –भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उपनिदेशक (संग्रहालय संग्रह)	*01 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11 (रु. 67,700–2,08,700)	लागू नहीं होता।	40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।) 6 (क) निर्णायक विवरण : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञापित की जाए।	(क) आवश्यक शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानव विज्ञान या प्राचीन भारतीय इतिहास या संग्रहालय विज्ञान या कला इतिहास में मास्टर डिग्री। **(ख) अनुभव:** किसी मान्यता प्राप्त संग्रहालय या संस्था जो कला या शिल्प संग्रह ग्रामीण और जनजाति शिल्प या भारतीय कला या पुरातत्व के किसी घटक में कार्यरत है, में अनुसंधान या प्रलेखीकरण में पाँच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचियों जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है / आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन: केंद्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वांशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :– (i) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) - अध्यक्ष।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	भर्ती द्वारा।	उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:– (क) (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 10 (67,700–2,08,700 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते है। **टिप्पण 1**:–केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। **टिप्पण 2**:–प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**:–प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(ii) ज्येश्ठ निदेशक (संग्रहालय) – सदस्य । (iii) उपसचिव/ निदेशक, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य।	

[फा. सं. 02/2/2023–एनसीएम और एचकेए]

सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

(NATIONAL HANDICRAFTS AND HANDLOOMS MUSEUM)

New Delhi, the 9th May, 2024

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handlooms) Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2002, in so far as it relates to the post of Deputy Director (Museum Collection), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Deputy Director (Museum Collection) in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum, namely :-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Deputy Director (Museum Collection) (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay level in pay matrix.**–The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**--The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**–No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**--Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (Museum Collection)	*01 (2024) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay level-11 in the pay matrix (Rs.67,700) -2,08,700/-).	Not applicable.	Not exceeding forty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) 6(a) crucial descript tion: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the competent authority.	(a) Essential Educational Qualification: Master Degree in Anth-ropology or Ancient Indian History or Museology or Art History from a recog-nised University or Institute. (b) **Experience:** Five years research or documentation work in rural and tribal crafts or any aspect of Indian Art or Archaeology in a recognised museum or institution dealing with art or crafts collection. **Note 1:** Qualifica-tions are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** The qualifications regar -ding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commi-ssion, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection,

						the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: Not applicable. Educational Qualification : Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as determined by the Central Government.	Deputation including short-term contract/ absorption failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Governments or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre; and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for	Group 'A' Departmental Confirmation Committee: 1. Development Commissioner for Handicrafts – Chairman. 2. Senior Director (Museum) – Member. 3. Dy. Secretary/ Director, Ministry of Textiles - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

			direct recruits under column (7). **Note 1:** Only officers of the Central Government or State Governments or Union territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 02/2/2023-NCM&HKA]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.